निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 35 **पटना, बुधवार,** 5 भाद्र 1947 (श0)
27 अगस्त 2025 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**02-26**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**27-28**
पूरक	---
पूरक-क	**29-35**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
18 अगस्त 2025

सं0 21/त0क0च0आ0–05/2017, सा॰प्र॰–15318––बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा–08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खेल विभाग, बिहार, पटना के राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के पद ''**क्रीड़ा प्रशिक्षक**'' के पद को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुसूची में तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है।

आदेश से,
मनोज कुमार झा, अवर सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना
21 अगस्त 2025

सं0 01/स्था० राज०–279/2023–1272––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालयादेश संख्या–467 दिनांक–16.12.1998 के अन्तर्गत निहित प्रावधान के आलोक में श्री वेदव्रत कुमार, विषेष ईख पदाधिकारी, पटना को विभागीय परीक्षा से उत्तीर्ण होने की तिथि–30.06.2023 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
पूनम कुमारी, उप सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना
14 अगस्त 2025

सं0 1/स्था0 (2) 01/ 2024–3656––वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7566, दिनांक–14.07.2010 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक–07.07.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतन स्तर–11 (वेतन बैण्ड–3, ग्रेड वेतन रू0 6600/–) में सूची के स्तम्भ–3 में अंकित तिथि से प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रथम एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि
1	*2*	*3*
1	डॉ0 प्रिती मान्या, शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	30.12.2024
2	डॉ0 रिंकी कुमारी, कनीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बांकीपुर, पटना	30.12.2024
3	डॉ0 बिपिन कुमार वरूण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, इटाढ़ी, बक्सर	30.12.2024

4	डॉ0 विनीता कुमारी, स्टाफ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना	30.12.2024
5	डॉ0 शैलेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (च0), औरंगाबाद	30.12.2024
6	डॉ0 सुभाष कुमार तिवारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ऐनवॉ, जहानाबाद	31.12.2024
7	डॉ0 संजीव कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अमनौर, सारण	30.12.2024
8	डॉ0 मुकेश कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर	30.12.2024
9	डॉ0 अनुपम कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, केशावे बरौनी, बेगूसराय	30.12.2024
10	डॉ0 मो0 शहबाजुल हक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गगनपुर (चकाई), जमुई	31.12.2024
11	डॉ0 प्रेमलता सिंह, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	02.01.2025
12	डॉ0 मुकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सदर मुंगेर, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बाराहाट, बांका	30.12.2024
13	डॉ0 नवनीत कुमार पाण्डेय, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दरौंदा, सीवान	13.01.2025
14	डॉ0 मनीष कुमार पाण्डेय, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, परसौना, सारण	30.12.2024
15	डॉ0 राजेश कुमार, सहायक रोग अनुसंधान पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सारण क्षेत्र, छपरा	30.12.2024
16	डॉ0 जय प्रकाश, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शादीपुर, गया	01.01.2025
17	डॉ0 अखिलेश्वर ठाकुर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खैरा, छपरा	30.12.2024
18	डॉ0 धर्मवीर सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोकुला, वैशाली	30.12.2024
19	डॉ0 स्मिता सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तेतर, गया	30.12.2024
20	डॉ0 प्रवीण कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलागंज, गया	30.12.2024
21	डॉ0 अविनाश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोंच, गया	30.12.2024
22	डॉ0 रौशन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डिलियॉ, भोजपुर	30.12.2024
23	डॉ0 मनीष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ताजपुर, समस्तीपुर	30.12.2024
24	डॉ0 श्रीमती राखी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दानापुर, पटना (24X7)	30.12.2024
25	डॉ0 मो0 परवेज अख्तर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डुमरॉव, बक्सर, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोराईपुर, सारण	30.12.2024

26	डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चन्दौस, पटना	30.12.2024
27	डॉ0 नरेन्द्र तिवारी, कृत्रिम प्रजनन प्रणाली पदाधिकारी, फ्रोजेन सिमेन बैंक, मुजफ्फरपुर	27.12.2024
28	डॉ0 प्रमोद कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विदुपुर, वैशाली	31.12.2024
29	डॉ0 नीता कुमारी, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, औरंगाबाद	31.12.2024
30	डॉ0 शशि शंकर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नगरनौसा, नालन्दा	30.12.2024
31	डॉ0 संजीव कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पटना सिटी, पटना (24X7)	21.01.2025
32	डॉ0 ब्रजभूषण बच्चू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सोनबरसा, सीतामढ़ी, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गुठनी, सीवान	30.12.2024
33	डॉ0 शान्तनु कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सिकटी, अररिया	30.12.2024
34	डॉ0 प्रकाश चन्द्र हिमांशु, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भोरे, गोपालगंज	20.01.2025
35	डॉ0 मनीष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खजौली, मधुबनी	30.12.2024
36	डॉ0 नीलकमल, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हाजीपुर, वैशाली (24X7)	30.12.2024
37	डॉ0 प्रतिभा कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टनकुप्पा, गया	30.12.2024
38	डॉ0 विकास चन्द्र मिश्र, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तिलकताजपुर, सीतामढ़ी	31.12.2024
39	डॉ0 ओम प्रकाश सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (च0), बेगूसराय	30.12.2024
40	डॉ0 प्रमोद कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, कैमूर	31.12.2024
41	डॉ0 ज्योति कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नयागाँव, सोनपुर, सारण	31.12.2024
42	डॉ0 सरोज कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रतनगंज, भागलपुर	30.12.2024
43	डॉ0 प्रेम रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बकौर, नालन्दा	19.01.2025
44	डॉ0 अभ्येन्द्र कुमार पंडित, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (च0), मुंगेर	31.12.2024
45	डॉ0 सत्यप्रकाश सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुनपुन, पटना	30.12.2024
46	डॉ0 मृत्युंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, माछिल, जहानाबाद	30.12.2024
47	डॉ0 अखिलेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बहेड़ा, गया	20.01.2025
48	डॉ0 रमेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, करजा, मुजफ्फरपुर	30.12.2024

49	डॉ0 आलोक सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (च0), सारण, छपरा	31.12.2024
50	डॉ0 ओम प्रकाश सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर	30.12.2024
51	डॉ0 रमेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, काको, जहानाबाद	30.12.2024
52	डॉ0 अमरेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण	30.12.2024
53	डॉ0 लक्ष्मी कान्त, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मटिहानी, गया	30.12.2024
54	डॉ0 मीनू कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पहलेजाघाट, सारण	31.12.2024
55	डॉ0 प्रेमचन्द्र प्रसाद सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनगंज, कटिहार	30.12.2024
56	डॉ0 राकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हरनाटांड, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	30.12.2024
57	डॉ0 संदीप कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, शेखपुरा (24X7)	30.12.2024
58	डॉ0 राम प्रवेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महकार, गया	31.12.2024
59	डॉ0 नीलकमल नीलू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फलका, कटिहार	30.12.2024
60	डॉ0 श्रीराम, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विशुनपुर मटियरवा, पूर्वी चम्पारण	31.12.2024
61	डॉ0 संजुला कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नेमदारगंज, नवादा	30.12.2024
62	डॉ0 सुनील कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, आरा, भोजपुर (24X7)	30.12.2024
63	डॉ0 अमित कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, देपुरा, मधुबनी	31.12.2024
64	डॉ0 संजीत कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।	30.12.2024
65	डॉ0 पवन कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी	30.12.2024
66	डॉ0 रणवीर प्रसाद सिंह, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	30.12.2024
67	डॉ0 राजीव रंजन, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।	30.12.2024
68	डॉ0 रूपेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मलाही, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	30.12.2024

69	डॉ0 प्रवीण, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रामपुर चौरम, अरवल	23.01.2025
70	डॉ0 संजीव कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राघोपुर, सुपौल	03.01.2025
71	डॉ0 चन्द्रमणि प्रसाद सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सौरबाजार, सहरसा	01.01.2025
72	डॉ0 रंजीत कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रजौली, नवादा, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फुलडीह, नवादा	30.12.2024
73	डॉ0 धनंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मऊ, गया	01.07.2025
74	डॉ0 गणेश जी कृष्ण कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महुआ, वैशाली	21.01.2025
75	डॉ0 संतोष कुमार तिवारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अकबरनगर, भागलपुर	30.12.2024
76	डॉ0 शिव शंकर कुमार, कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना	30.12.2024
77	डॉ0 हरीश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, महमद्दीपुर, समस्तीपुर, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चकसाहो, समस्तीपुर	30.12.2024
78	डॉ0 प्रभात कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गौहरपुर, पटना	30.12.2024
79	डॉ0 अजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दनियावाँ, पटना, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मड़वागुलनी, नवादा	30.12.2024
80	डॉ0 पंकज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खनेठी, कैमूर	30.12.2024
81	डॉ0 जितेन्द्र कुमार भोला, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खुटौना, मधुबनी	30.12.2024
82	डॉ0 श्रुतिकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गुलजारबाग, पटना	30.12.2024
83	डॉ0 मनोज कुमार भारती, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रानीपतरा, पूर्णियाँ	30.12.2024
84	डॉ0 पंकज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, ताजपुर, गया	30.12.2024
85	डॉ0 प्रभाष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मनेर, पटना	30.12.2024
86	डॉ0 ठाकुर बलवन्त सिंह, रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, मगध क्षेत्र, गया	14.01.2025
87	डॉ0 धीरज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा, लखीसराय	30.12.2024
88	डॉ0 संजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, अन्दौली, सुपौल	05.01.2025
89	डॉ0 प्रवीण रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, फतेहपुर, गया	30.12.2024
90	डॉ0 मनोज कुमार वर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रौशनगंज, गया, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कचौड़ी, गया	30.12.2024

91	डॉ0 प्रेम कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लखनौर, मधुबनी	30.12.2024
92	डॉ0 आकाश दीप, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास	30.12.2024
93	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद साह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय	30.12.2024
94	डॉ0 गुड्डू कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर	30.12.2024
95	डॉ0 पंकज कुमार, रक्षित पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर	30.12.2024
96	डॉ0 मनोज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, वारिसनगर, समस्तीपुर	30.12.2024
97	डॉ0 सुबोध कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बंधुगंज, जहानाबाद	31.12.2024
98	डॉ0 अनुज प्रसाद मंडल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गौरा, गोपालगंज	31.12.2024
99	डॉ0 सुनील कुमार रजक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बेलही, मधुबनी	30.12.2024
100	डॉ0 कमल कुमार लाल रविभूषण, सहायक रोग अनुसंधान पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर	30.12.2024
101	डॉ0 मनोज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, भुआलटांड, नवादा	30.12.2024
102	डॉ0 विमल कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बनगाँव, सहरसा	31.12.2024
103	डॉ0 अरूण कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर	30.12.2024
104	डॉ0 अंशु कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोरवा, समस्तीपुर, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोयल, भोजपुर	31.12.2024
105	डॉ0 सदानन्द दिवाकर, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुर्कीहार, गया	31.12.2024
106	डॉ0 सूरज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, खजुरी, समस्तीपुर	30.12.2024
107	डॉ0 कुमार प्रफुल्ल चन्द्र, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रामपुरहरि, मुजफ्फरपुर	30.12.2024
108	डॉ0 विमल कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रांतीयकृत पशु चिकित्सालय, बांकीपुर, पटना (24X7)	30.12.2024
109	डॉ0 दिनेश शर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर	30.12.2024
110	डॉ0 मनोज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शाहजहाँपुर, पटना	30.12.2024
111	डॉ0 अंजनी कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बिहार शरीफ (नालन्दा) (24X7)	30.12.2024
112	डॉ0 लवकुश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, पुरैना, शेखपुरा	30.12.2024

113	डॉ0 मुकेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद	30.12.2024
114	डॉ0 राजीव कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (च0), पटना	30.12.2024
115	डॉ0 शशि प्रकाश, आप्त सचिव, उप सभापति, बिहार विधान परिषद्, पटना	30.12.2024
116	डॉ0 विजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, नगवा, गया	30.12.2024
117	डॉ0 मिथिलेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, समसा, बेगूसराय	30.12.2024
118	डॉ0 विकास सक्सेना, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद	01.01.2025
119	डॉ0 संजीव कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चरणे, सुपौल	31.12.2024
120	डॉ0 लखन कुमार शर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गिद्धौर, जमुई	17.01.2025
121	डॉ0 शशि कान्त सिंह, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, अरवल	30.12.2024
122	डॉ0 पंकज कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दरिहारा, सारण	31.12.2024
123	डॉ0 प्रभु नारायण यादव, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर	30.12.2024
124	डॉ0 मिथिलेश कुमार राय, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुमारबाग, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	30.12.2024
125	डॉ0 विकास कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोढ़ा, कटिहार	30.12.2024
126	डॉ0 प्रेम प्रकाश हिमांशु, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, झिकटौरा, नवादा	31.03.2025
127	डॉ0 नवीन कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दानापुर, पटना (24X7)	01.04.2025
128	डॉ0 उज्जवल कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गडहिया बाजार, पूर्वी चम्पारण	30.03.2025
129	डॉ0 रजनीश कुमार सिन्हा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हसनबाजार, भोजपुर	15.04.2025
130	डॉ0 राजेश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कंकड़बाग, पटना, सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, चिकसी, पटना	02.04.2025
131	डॉ0 शिवम श्री हर्ष कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बाराचट्टी, गया	31.03.2025
132	डॉ0 शम्भू प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गम्हरिया, मधेपुरा	31.03.2025
133	डॉ0 सुबोध कुमार, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, पटना	01.04.2025
134	डॉ0 सतीश कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, विरूपुर, लखीसराय	01.04.2025
135	डॉ0 निरंजन कुमार प्रसाद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, शेरघाटी, गया	30.03.2025

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति संपुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी।

4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीतेन्द्र कुमार, अवर सचिव।

———————

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचना
11 अगस्त 2025

सं0 6/अ0–03–07/2023–3363––श्री प्रिय रंजन, बिहार वित्त सेवा (63वीं बैच), राज्य–कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ की वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–950 दिनांक 04.06.2020 द्वारा बिहार वित्त सेवा में नियुक्ति की गयी थी, जिसके आलोक में श्री रंजन द्वारा दिनांक 11.06.2020 को अधिसूचित पद पर योगदान किया गया।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2024 में अंतिम रूप से चयनोपरान्त श्री रंजन को "भारतीय राजस्व सेवा (IRS(IT))" आवंटित हुआ है एवं Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), मसूरी में दिनांक 25.08.2025 से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संसूचित है।

3. अतएव श्री प्रिय रंजन, बि0वि0से0 (63वीं बैच), राज्य–कर सहायक आयुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के अनुरोध पर उन्हें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में योगदान करने एवं Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), मसूरी में दिनांक 25.08.2025 से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के निमित दिनांक 18.08.2025 के अपराह्न के प्रभाव से विरमित किया जाता है।

4. श्री प्रिय रंजन, बि0वि0से0 का बिहार वित्त सेवा में गहनाधिकार रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार, अवर सचिव।

———————

कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
(प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग)
अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ पथ (राईडिंग रोड), शेखपुरा, पटना–800014
E-mail-ccfhrdbihar@gmail.com

———————

आदेश
27 मार्च 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–33––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्मतिथि	फोटोग्राफ
1	DR006972	11	**श्री मंजय कुमार,** पिता–श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम+पोस्ट–सहदुल्लाहपुर, थाना–गंगाब्रिज, जिला–वैशाली, बिहार,844102	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	20.10.1994	
2	DR018674	20	**श्री राकेश कुमार,** पिता–स्व० रामबाबू शर्मा, ग्राम–भगवतीपुर, पोस्ट–नेऊरा, थाना–शाहपुर, जिला–पटना, बिहार–801113	पुरूष	सामान्य	30.11.1990	
3	DR000167	41	**श्री अभिषेक कुमार सिंह,** पिता–श्री शिवपरसन सिंह, ग्राम–जमुऑव, पोस्ट–कुकुढा, थाना–इटाढ़ी, जिला–बक्सर बिहार–802123	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	09.03.1994	
4	DR002417	43	**श्री मुन्ना कुमार,** पिता–श्री विजय कुमार मेहता, ग्राम–सितारामपुर, पोस्ट–जम्होर, थाना–बारूण, जिला–औरंगाबाद, बिहार–824121	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	17.10.1996	
5	DR003857	54	**मो० इमरान,** पिता–मो० कमालुद्दीन, मुहल्लाह–हाजीहरमेन, नयाटोला, (मुबारक हो मैरेज हॉल के पास) पोस्ट+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना, बिहार–801505	पुरूष	सामान्ये (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.01.1993	
6	DR006095	62	**श्री अजीत प्रसाद,** पिता–श्री महेन्द्र प्रसाद, ग्राम–वीरचन्द्र पटेलपथ, होटल पाटलिपुत्र के सामने, ड्राइवर कॉलोनी, पोस्ट–जी०पी०ओ०, थाना–कोतवाली, जिला–पटना बिहार–800001	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (पिछड़ा वर्ग)	22.09.1996	
7	DR022010	79	**श्री विकास कुमार,** पिता–श्री टुन्ना सिंह, ग्राम+पोस्ट–सहदुल्लाहपुर, थाना–गंगाब्रिज, जिला–वैशाली बिहार–844102	पुरूष	पिछड़ावर्ग	15.04.1996	

8	DR008365	107	**श्री अभिषेक कुमार,** पिता–श्री मुरारी प्रसाद सिंह, ग्राम–दुर्गापुर, पोस्ट–खुटहन, थाना–हसपुरा, जिला–औरंगाबाद, बिहार–824120	पुरूष	पिछड़ावर्ग	18.12.1999	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

---

1 अप्रील 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–36––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयन कोटि/ कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR022026	14	**श्री सुरेश कुमार** पिता–श्री द्वारिका रजक ग्राम–जरमाखाप, थाना+ पोस्ट+जिला–औरंगाबाद 824101	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	16.09.1997	
2	DR006909	17	**श्री नकुल कुमार** पिता–श्री अशर्फी महतो हाउस नं०–16, वार्ड नं०–02 ग्राम–भवानीपुर, पोस्ट–दिघरी, थाना–सुरजगढ़ा, जिला–लखीसराय, बिहार 811106	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	05.06.1994	
3	DR012852	35	**श्री झुन्नू कुमार** पिता–श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्राम–दहिभत्ता, पोस्ट–उसमानचक, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटनाबिहार–804452	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	25.01.1997	
4	DR014837	45	**श्री पमपम कुमार** पिता–श्री रोहित साह ग्राम–मझुआ प्रेमराज, पोस्ट +थाना–सरसी, जिला–पूर्णिया (बिहार) 854206	पुरूष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	15.08.1998	
5	DR022398	49	**श्री रोहित कुमार** पिता–श्री ललन प्रसाद ग्राम–जलगोविन्द, पोस्ट+थाना–बाढ़, जिला–पटना बिहार–803213	पुरूष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	19.05.1997	
6	DR018272	58	**श्री बिक्रान्त कुमार** पिता–श्री रामपुकार राम मोहल्ला–श्री टोला (आरा), पोस्ट+थाना–नवादा, जिला–भोजपुर (आरा), बिहार, 802301	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	22.01.1997	
7	DR015553	68	**श्री गुड्डू कुमार राम** पिता–श्री दिनेश राम ग्राम–चनावे, पोस्ट–लछवार, थाना–थावे, जिला–गोपालगंज, बिहार–841438	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर (अनुसूचित जाति)	01.01.1996	

8	DR018136	73	**श्री पंकज कुमार** पिता–श्री सिकन्दर राम ग्राम–शिवशंकर नगर, पोस्ट–मसौढ़ी, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना, बिहार–804452	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	31.12.2000	
9	DR004735	109	**श्री आबिद हुसैन** पिता–शर्फुद्दीन अंसारी ग्राम+पोस्ट–महुआँव, थाना–बिहिया, जिला–भोजपुर, बिहार–802183	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	04.03.1996	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्यागपत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

---

9 अप्रील 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–40––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन)

नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयन कोटि/कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR015124	39	**श्री चन्दन कुमार** पिता–श्री रामबृक्ष प्रसाद गुप्ता ग्राम+पोस्ट–चरुऔवां, थाना–शेखोपुरसराय, जिला–शेखपुरा, बिहार–811103	पुरूष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.01.1996	
2	DR015063	47	**श्री अरूण कुमार साहनी** पिता–श्री धनई साहनी ग्राम–गिदहा, पोस्ट–सोनगढ़वा, थाना–फुलवरिया (श्रीपुर), जिला–गोपालगंज, बिहार–841425	पुरूष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	21.09.1997	
3	DR023876	56	**श्री रामसूरत दास** पिता–श्री उपेंद्र दास ग्राम–हरारीदुलारपुर, थाना–सुरसण्ड, जिला–सीतामढ़ी बिहार–843331	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	12.03.1994	
4	DR018431	60	**श्री आकाश कुमार** पिता–श्री वरूण राय ग्राम+पोस्ट–बसौली, थाना–कुढ़नी जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार, 844127	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	08.04.2001	
5	DR003327	98	**मो० आरिफ अंसारी** पिता–नेयाजुद्दीन अंसारी ग्राम–करमा, पोस्ट–अमझोर, थाना–रोहतास, जिला–रोहतास, बिहार 821302	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	12.12.2000	
6	DR017100	100	**श्री आकाशदीप** पिता–श्री काली चरण मंडल ग्राम–छोटी दरियापुर (रामपुर), पोस्ट+थाना–जमालपुर, जिला–मुंगेर, बिहार 811214	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	05.12.1997	
7	DR012165	108	**श्री रतन कुमार** पिता–श्री महेंद्र गुप्ता ग्राम+पोस्ट–बेलहियाँ, थाना–तरियानी छपरा, जिला–शिवहर, बिहार–843316	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.03.1996	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

---

16 अप्रील 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–43––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक(भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयन कोटि/कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR013774	22	**श्री श्रीकांत पासवान** पिता–श्री श्यामनारायण पासवान, ग्राम–मदसारी, थाना–इमामगंज, पोस्ट–मल्हारी, जिला–गया बिहार–824206	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	10.10.1992	

2	DR014122	29	**श्री पिंटू कुमार** पिता–श्री चंदर यादव ग्राम–करतारा, थाना+पोस्ट–पकरीवरावाँ, नवादा बिहार–805124	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	15.12.1999	
3	DR002657	52	**श्री अरविंद कुमार साह** पिता–श्री कन्हैया लाल साह ग्राम–मठिया टोले खानसामा, पोस्ट+थाना–हथुआ, जिला–गोपालगंज, बिहार–841436	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जनजाति)	10.02.1992	
4	DR013047	65	**श्री रोहिताभ बच्चन** पिता–श्री शिव बचन ग्राम–मुस्तफाबाद कॉलोनी, थाना+पोस्ट–रामपुर, जिला–गया, बिहार–823001	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति)	28.03.1996	
5	DR021795	85	**श्री चंदन कुमार पाण्डेय** पिता–श्री जय प्रकाश पाण्डेय ग्राम–जमुआँ टोला, पोस्ट–करूप, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास, बिहार–802214	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	13.02.1994	
6	DR004184	86	**श्री गणेश कुमार** पिता–श्री महेश प्रसाद ग्राम–दुलहपुर, पोस्ट–कोरारी, थाना–बिन्द, जिला–नालन्दा, शहर–बिहारशरीफ, बिहार–803110	पुरूष	पिछड़ा वर्ग (पिछड़ा वर्ग)	20.03.1994	
7	DR018506	92	**श्री राहुल तांती** पिता–श्री विजय तांती ग्राम–हंसरा, पोस्ट–विशुनपुर, थाना–वजीरगंज, जिला–गया, बिहार–805131	पुरूष	अत्यंत पिछड़ावर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	01.07.1992	
8	DR016445	102	**श्री प्रकाश कुमार** पिता–श्री भोलाराम ग्राम–हकिमाबाद, पोस्ट+थाना–समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर, बिहार–848101	पुरूष	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति)	05.04.1990	
9	DR016075	105	**श्री सौरभ कुमार** पिता–श्री सच्चिदा नंद प्रसाद ग्राम+पोस्ट–बहादुरपुर, थाना–रजौली, जिला–नवादा, बिहार–805125	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	25.01.1993	

10	DR017189	112	**सुश्री रूबी कुमारी** पिता–श्री सरयू प्रसाद ग्राम–पिपराही, पोस्ट–शौनकला, थाना–गुरूया, जिला–गया बिहार–824211	स्त्री	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	08.01.1988	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

---

29 अप्रील 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–53––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीनपूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयन कोटि/कोटि	जन्मतिथि	फोटोग्राफ
1	DR022291	3	**श्री नितीश कुमार यादव,** पिता–श्री हेमन्त यादव, ग्राम–वंशीपुर बेला,पोस्ट–बैजनाथपुर, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर, बिहार–813204	पुरूष	पिछड़ा वर्ग (सामान्य)	07.01.1996	
2	DR006691	32	**श्री प्रदीप कुमार,** पिता–श्री शिव पासवान, ग्राम–हरिपुर टोला, बर्दही, पोस्ट+थाना–सिकटा, जिला–पश्चिमी चम्पारण बिहार 845307	पुरूष	अनुसूचित जाति (सामान्य)	17.07.1999	
3	DR014496	50	**श्री मोहित कुमार सिंह,** पिता–श्री जीतेन्द्र सिंह, ग्राम–सिसवाँ, पोस्ट–केरवाँ, थाना–इसुआपुर, जिला–सारण (बिहार) 841411	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य)	30.09.1999	
4	DR018702	53	**श्री आनन्द मोहन सिंह,** पिता–श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम–कर्णपुरा, पोस्ट–आमडाढ़ी, थाना–एकमा, जिला–सारण, बिहार 841208	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(सामान्य)	12.03.1992	
5	DR024120	55	**श्री वरुण कुमार,** पिता–श्री श्याम किशोर प्रसाद,ग्राम–छोटी मलावाँ, पोस्ट–बड़ी मलावाँ, थाना–सरमेरा, जिला–नालंदा, बिहार–811101	पुरूष	पिछड़ा वर्ग (सामान्य)	05.03.1994	
6	DR002337	89	**श्री निखिल नवीन,** पिता–श्री नंदकिशोर सिंह, ग्राम+पोस्ट–मानिकपुर, थाना–हरसिद्धि जिला–पूर्वी चम्पारण, बिहार–845437	पुरूष	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	26.01.1992	
7	DR018720	111	**श्री अनिल कुमार पाल,** पिता–शिव भजन पाल ग्राम–इसरी, पोस्ट+थाना–दुर्गावती, जिला–कैमूर, बिहार–821105	पुरूष	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	23.05.1992	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्यागपत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

———————

9 मई 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–60––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयन कोटि/कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR007860	57	**श्री पंकज दास,** पिता–श्री सिकिन्दर दास, ग्राम+पोस्ट–पिरोखर, भाया–चोरौत, थाना–मधवापुर, जिला–मधुबनी, बिहार–843319	पुरूष	सामान्य (अनुसूचित जाति)	15.12.1995	

2	DR009933	59	**श्री प्रताप भानु,** पिता–श्री फरीन्द्र यादव, ग्राम–कचहरी टोला, पोस्ट–भटहां, थाना–सुगौली जिला–पूर्वी चम्पारण, बिहार–845456	पुरूष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	24.12.1993	
3	DR003635	72	**श्री बिपीन कुमार,** पिता–श्री सुनिल रजक, ग्राम–खोकसा, पोस्ट–बम्बैया हर लाल, थाना–दलसिंहसराय, जिला–समस्तीपुर, बिहार–848114	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWSUR सहित) (अनुसूचित जाति)	22.02.1999	
4	DR000607	104	**मो० अस्जद अंसारी,** पिता–मोहमद्दीन अंसारी, ग्राम–नुआँव, पोस्ट–कबिलासपुर, थाना–दुर्गावती जिला–कैमूर (भभुआ) 821105	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	10.07.2001	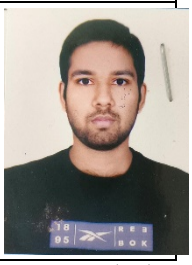

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतजीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

———

21 मई 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–65––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयनकोटि/कोटि	जन्मतिथि	फोटोग्राफ
1	DR022798	95	**श्री पकंज कुमार,** पिता–महेन्द्र सिंह, ग्राम–रूपदेव बिगहा, पोस्ट–उबेर, थाना–घोषी, जिला–जहानाबाद, बिहार, पिनकोड–804405	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	03.01.1993	
2	DR000798	106	**श्री सोनू कुमार राम,** पिता–श्रीराम कृष्ण राम, ग्राम–करीमन ठाकुर के डेरा, पो०–लक्ष्मी के डेरा, थाना–शाहपुर, जिला–भोजपुर, बिहार, पिन–802112	पुरूष	अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति)	01.01.2001	
3	DR016353	113	**श्री बिरबल कुमार,** पिता–श्री मुन्ना पंडित, ग्राम–बसंतपुर हड़हर, पोस्ट–पिंजोरा, थाना–काको, जिला–जहानाबाद, बिहार, पिनकोड–804417	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	03.02.1996	
4	DR002508	115	**श्री विवेक साह,** पिता–पोदीसाह, ग्राम–समधपुरा, पोस्ट+थाना–बहेड़ी, जिला–दरभंगा, बिहार, पिन कोड–847105	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	08.04.1994	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में

उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

---

11 जुलाई 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–97––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयनकोटि/कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	DR003808	26	**श्री निलेश कुमार,** पिता–श्री विश्वनाथ राय, ग्राम+पो०–बस्ती जलाल, थाना–दिघवारा, जिला–सारण, बिहार, पिन–841221	पुरूष	पिछड़ावर्ग (सामान्य)	15.05.1995	

2	DR019366	71	**श्री विशाल कुमार,** पिता–श्री बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह, ग्राम+पो०–बुढ़वल, थाना–काराकाट, जिला–रोहतास, बिहार, पिनकोड–802214	पुरूष	आर्थिक रूप से कमजोरवर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	05.01.1996	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रू॰ में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

———————

16 जुन 2025

सं0 स्था०(सी०)–33/2024–75––बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–37/2023 दिनांक–01.09.2023 के आलोक में वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के निमित्त लिखित एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन के उपरान्त दिनांक–06.08.2024 को संयुक्त रूप से 116 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार हेतु कुल–57 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी।

2. निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन जाँचोपरान्त संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त है, को बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वाहन चालक के पद पर Level-2 (19900–63200) के वेतनमान में अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	आवेदन	संयुक्त मेधा क्र०	अभ्यर्थी का नाम /पता	लिंग	चयनकोटि/ कोटि	जन्मतिथि	फोटोग्राफ
1	DR015324	38	**श्री मनोहर कुजूर उरॉव,** पिता–श्री बसंत उरॉव, ग्राम+पोस्ट–नाथपुर, वार्डनं0–02, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया, बिहार, पिन–854335	पुरूष	सामान्य वर्ग (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	16.02.1990	
2	DR014696	116	**श्री चंदन कुमार,** पिता–हरेन्द्र पंडित, ग्राम–बाकरपुर, पोस्ट–गोविन्दचक, थाना–सोनपुर, जिला–सारण, बिहार, पिनकोड–841101	पुरूष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	15.02.1995	

3. नियुक्त वाहन चालकों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4. यह नियुक्ति बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005 एवं बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

5. बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2005, बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–3454 दिनांक–28.02.2024 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वाहन चालक के रूप में 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर वाहन चालक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वाहन चालकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/ स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को योगदान के निमित्त कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तद्नुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
मुख्य वन संरक्षक,
प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
21 अगस्त 2025

सं0 I/283794/2025––श्री बिरेन्द्र कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दानापुर (HRMS Employee ID-10783241) का अपनी माता के बाईपास सर्जरी कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–PCFC/ ELECTION/BELS/ 2014/0073-924(23) दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 17.03.2025 से 18.04.2025 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 16.03.2025 तक 300-33=267 दिन शेष रहेगी।

2. इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

पत्रांक–3ए–3–भत्ता–02/2025–9286/वि०
वित्त विभाग

प्रेषक,

रचना पाटिल,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक 26 अगस्त 2025

विषय :– बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में यात्रा भत्ता के संबंध में।

महाशय,

द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा एवं रिट पिटिशन (सिविल) सं०– 643/2015 में दिनांक–27.07.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वित्त विभागीय संकल्प सं०–9154, दिनांक–28.09.2022 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों का दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण किया गया है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2140, दिनांक–28.02.2024 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों/सुविधाओं की स्वीकृति दी गयी है। किन्तु यात्रा भत्ता के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन अयोग की अनुशंसा/न्यायिक आदेश नहीं रहने के कारण बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को यात्रा–भत्ता का पुनरीक्षण नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान में न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8383, दिनांक–14.08.2013 द्वारा विहित अपुनरीक्षित दर से यात्रा भत्ता अनुमान्य है, जिसे पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में यात्रा भत्ता की दर पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

3. राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8044, दिनांक–11.10.2017 द्वारा यात्रा भत्ता की दर को संशोधित किया गया है। तदनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए यात्रा हेतु दर एवं श्रेणी की अनुमान्यता निम्नवत् निर्धारित की जाती है।

(क) वायुयान से यात्रा :–

क्र०सं०	वेतनस्तर	श्रेणी
1	J-7	Business Class
2	J-1से J-6	Economy Class

(ख) रेल द्वारा यात्रा :–

क्र०सं०	वेतनस्तर	अनुमान्य श्रेणी (सभी ट्रेन)
1	J-1से J-7	AC 1st Class

(ग) सड़क से यात्रा :–

क्र०सं०	वेतनस्तर	अनुमान्यता
1	J-1से J-7	AC Bus/AC Taxi/AC Car

(घ) वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में सड़क से यात्रा हेतु निर्धारित दर :–

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	अनुमान्यता
1	AC Bus/ Bus	वास्तविक किराया
2	AC Taxi / Taxi	₹ 24/km
3	Private Car	₹ 20/km

(ङ) दैनिक भत्ता के प्रयोजनार्थ शहरों का वर्गीकरण एवं श्रेणीवार अनुमान्य दैनिक भत्ता की दर :–

वेतनस्तर	श्रेणी –X	श्रेणी –Y	श्रेणी –Z
J-6एवं J-7	₹ 7500 - होटल	₹ 5000 - होटल	₹ 4000 - होटल
	₹ 1200 - सामान्य	₹ 800 - सामान्य	₹ 600 - सामान्य
J-1से J-5	₹ 4500 - होटल	₹ 3500 - होटल	₹ 2500 - होटल
	₹ 1000 - सामान्य	₹ 750 - सामान्य	₹ 500 - सामान्य

नोटः– *उपर्युक्त होटल दर आवासन एवं भोजन (Boarding and Lodging) पर व्यय की प्रतिपूर्त्ति की अधिसीमा है, बशर्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए। यदि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में रहने का व्यय 'सामान्य दर' से ज्यादा हो, तो वास्तविक अभिश्रव समर्पित करने पर उस राशि की प्रतिपूर्त्ति की जा सकेगी, परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में 'होटल दर' से अधिक नहीं होगा।*

विश्वासभाजन,
रचना पाटिल, सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bihar.gov.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

————————

No. 799––I, Ajay Kumar Shrivastava S/o Vijay Prasad Shrivastava, R/o Saket Vihar, Mitra Mandal colony Anisabad Phulwari Sarif, Patna, Bihar-800002 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2999 dt. 29-07-25 that my name is written in my Aadhar card, Pan card, all educational and all other documents as Ajay Kumar Shrivastava. But from now I will be knwon as Ajay Shekhar for all purposes.

Ajay Kumar Shrivastava.

————————

No. 802––I, Gitanjali Mahato W/o Shiv Kumar Singh R/o Village+P.O-Pareo, P.S.-Bihta, Patna, Bihar-802160 do hereby solemnly affirn and declare as per aff. No. 4372 dt. 22.05.2025 that my name is written in my son Abhinav Kumar Singh's 10^{th} all educational documents as Gitanjali Mahto. As per Aadhar Card my correct name is Gitanjali Mahato. Both names are same and one person. From now I will be known as Gitanjali Mahato for all purposes.

Gitanjali Mahato.

————————

No. 805–– I, Rina Kumari, W/o Sanjay Kumar Singh, R/o Ward No.-14 Mahadevpuri, P.O.-G.P.O., P.S.-Gardanibagh, Patna-800001 Bihar as per aff. No.-4948 dt. 11.04.25 do hereby solemnly affirm and declare that my name is written in my daughter Prachi Singh's 12th final Passing certificate as Reena Sinha which is wrong. My true/correct name is Rina Kumari. From now I will be known as Rina Kumari for all purposes.

Rina Kumari.

————————

No. 806––I, Ankita Kumari W/o Suraj Prasad R/o Vill.+P.O.-Talimapur, ward No.-09, P.S.-Jamo, Distt.-Siwan Bihar-84407 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 205 dt 25.07.2025 that my name is written in my all educational and other documents as Ankita Kumari. In Aadhar card written as Ankita. Both names are same and one person. From now I will be known as Ankita Kumari for all purposes.

Ankita Kumari.

————————

No. 817––I, PRITY MONOWAT, W/o.- PARASH BOHRA, H/o-Santi Devi, Road No-2A Red Carpet High School, Rajendra Naghar Patna Bihar 800016 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavt no. 4317 dated 12.06.25. That my name is written in my all educational documents, Aadhar Card, Pan Card and other documents as PRITY MONOWAT. After marriage adopting husband's surname "BOHRA" now I shall be known as PRITY BOHRA for all legal and future pruposes.

PRITY MONOWAT.

सं0 818––मैं अनीता राज, (ANITA RAJ) पति–पंकज मोहन, पता–छाया निकेतन मैनपुरा, बभनटोली, पोस्ट–जी. पी.ओ., थाना–पाटलिपुत्रा, जिला–पटना, बिहार 800001 शपथ पत्र सं0– 843 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनीता राज (ANITA RAJ) अंकित है। यह कि, मैं अपनी मर्जी से अपना नाम अनीता राज (ANITA RAJ) से बदलकर अनिता मोहन (ANITA MOHAN) रखना चाहती हूँ, मैं अब अनीता राज (ANITA RAJ) के जगह पर अनिता मोहन (ANITA MOHAN) के नाम से भविष्य में सभी कार्यों के लिए जानी व पहचानी जाउँगी।

अनीता राज (ANITA RAJ).

————————

No. 819––I Shree Prakash Singh S/o Rameshwar Singh, Residing at Rekha house, New Dakbanglow Road, Near Utsav Hotel Charkothia, Patna-800001 (Bihar) do solemnly affirm and declare vide affidavit No. 847 dated 28.04.25 that my name is mentioned in my Aadhar Card and Pan Card as Shree Prakash Singh and in matriculation certificate as S. P. Singh. That S.P. Singh and Shree Prakash Singh are the names of one and same person. That I shall only be known as Shree Prakash Singh for all purposes.

Shree Prakash Singh.

————————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bihar.gov.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 08/आरोप–01–79/2015 (खंड) सा०प्र०—13913
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2025

श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि०प्र०से०, को०क्र0–142/2011, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध, ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने से संबंधित आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०–42/08 दिनांक 15.07.2008 दर्ज हुआ, जिसमें श्री प्रसाद नामजद अभियुक्त बनाये गये। उक्त थाना कांड में श्री प्रसाद दिनांक 15.07.2008 को गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8984 दिनांक 14.08.2008 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। न्यायिक हिरासत से बाहर आने के उपरांत श्री प्रसाद दिनांक 28.11.2008 को विभाग में योगदान किये। मामले की संवेदनशीलता के आलोक में विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4508 दिनांक19.05.2009 द्वारा इन्हें पुनः निलंबित किया गया। कालांतर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1352, दिनांक 10.02.2010 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4668 दिनांक 25.05.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1837 दिनांक 20.09.2016 द्वारा प्राप्त परामर्श के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14105 दिनांक 17.10. 2016 द्वारा श्री प्रसाद को **''पेंशन से 50 प्रतिशत''** राशि की स्थायी कटौती का दंड संसूचित किया गया। पुनः संकल्प ज्ञापांक 6945 दिनांक 08.06.2017 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया कि निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, परन्तु पेंशन प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि सेवा की अवधि मानी जायेगी।

3. पेंशन कटौती संबंधी दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू० जे०सी० संख्या–2457/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2018 को न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय दंडादेश एवं जांच प्रतिवेदन दोनों को निरस्त कर दिया गया एवं मामला जांच पदाधिकारी को Remand back करते हुए आरोप पत्र जारी होने के चरण के बाद आगे की कार्रवाई के लिए निदेशित किया गया। सी०डब्ल्यू० जे०सी० संख्या–2457/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20.11.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

".....9. In such view of the matter, the punishment vide memo no. 14105 dated 17.10.2016, thereby the Government has communicated the petitioner regarding reduction of 50% pension as well as communication/letter given by the Accountant General Office dated 08.12.2016 and the inquiry report dated 27.09.2015 are quashed. The matter is remanded back to the Commissioner, Departmental Inquiry, Government of Bihar, Patna, to proceed further after the stage of issuance of charge-sheet in accordance with law. The question of payment of salary as having been claimed in the writ petition will be subject to result of the inquiry proceeding. As this Court is remanding back the matter, in terms of Government Resolution 90% provisional

pension will be paid to the petitioner and arrears will be subject to the result of inquiry proceeding.

10. Accordingly, this writ petition is allowed to aforesaid extent."

4. उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3792 दिनांक 19.03.2019 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध संसूचित दंडादेश एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (दिनांक 27.09.2015) को निरस्त करते हुए श्री प्रसाद को 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन भुगतान का आदेश दिया गया। साथ ही न्यायादेश के आलोक में आरोप पत्र के चरण (Stage) से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–18 (1) के तहत अग्रत्तर जाँच कराने का निर्णय लिया गया।

5. संचालन पदाधिकारी–सह–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2863 दिनांक 03.10.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप–पत्र में लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–16695 दिनांक 16.10.2024 द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त क्रम में श्री प्रसाद द्वारा स्मारोपरांत अपना लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अपने लिखित अभ्यावेदन में मुख्य रूप से कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के उप नियम (23) (1)(ग) एवं (घ) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आरोपित पदाधिकारी के पक्ष को बिना कारण दर्शाये अमान्य कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में मांगे गये अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI Act, 1956 के तहत मधुबनी जिला अंतर्गत क्षेत्र में किया जाना था। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पद पर उनके द्वारा दिनांक–07.12.2006 को प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार ग्रहण करने के उपरांत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का भुगतान संबंधित भूधारकों को किया जाना था, क्योंकि पूर्व में अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही हो चुकी थी। NHAI Act की धारा 3D के आलोक में भूधारकों को प्रचलित बाजार मूल्य पर मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान है। उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन के परिधी में मधुबनी जिला अंतर्गत कुल 42 राजस्व ग्राम आते थे, तथा इन ग्रामों का सर्वे खतियान पुराना सर्वे अर्थात Cadestral survey के प्रविष्टि पर आधारित था जो भू–अर्जन के समय भू–स्वामित्व एवं भूमि की प्रकृति में काफी परिवर्तन हो चुका था। NHAI Act के तहत मुआवजा का भुगतान प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। परंतु 3D के प्रकाशन में पुराना सर्वे खतियान के आधार पर इसका प्रकाशन होने के कारण वर्तमान समय में लगभग डेढ़ सौ साल पूर्व के जमीन की प्रकृति दर्ज किया जाना सही नहीं था। तदालोक में प्राप्त प्रतिवेदन पर उनके द्वारा जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य निबंधन कार्यालय से मंगवाकर उसी दर पर अधिग्रहित भूमि का मूल्य निर्धारित कर दर का भुगतान किये जाने की बात कही गयी है। मकान अथवा अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित अन्य संरचना हेतु मुआवजा का भुगतान भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के टीम के द्वारा जाँचोंपरांत दाखिल प्रतिवेदन के आधार पर किया गया।

श्री प्रसाद द्वारा यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपी द्वारा समर्पित अभिकथन पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार से मन्तव्य की माँग किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

6. श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–07 में साक्षियों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किये जाने का उल्लेख है, जिसमें कतिपय साक्षियों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया है। साथ ही, जाँच प्रतिवेदन में जाँच आयुक्त द्वारा अंकित विश्लेषण एवं जाँच परिणाम तथा निष्कर्ष से भी स्पष्ट है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के उप नियम (23) (1) (ग) एवं (घ) में उपबंधित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अतएव श्री प्रसाद द्वारा लिखित अभिकथन में कही गयी उक्त बिंदु/बात सत्य से परे है।

श्री प्रसाद का यह कहना कि आरोपी के अभिकथन पर विभागीय/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मन्तव्य उपलब्ध कराने की स्थिति में प्राप्त मन्तव्य से संचालन पदाधिकारी के प्रभावित होने की आशंका/संभावना होती है जिससे विभागीय कार्यवाही प्रभावित/दूषित हो सकती है। विषयांकित मामले में आरोपी पदाधिकारी के अभिकथन पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार/विभाग से कोई भी मंतव्य की माँग नहीं की गयी है न ही विभाग/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मंतव्य इस मामले में दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री प्रसाद द्वारा अपने लिखित अभिकथन में कही गयी बातों के पक्ष में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही, उनके द्वारा कही गयी सभी मुख्य बातें संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान में भी कहा गया था, जिसके सम्यक जाँच, विश्लेषण एवं समीक्षा के उपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित विश्लेषण, जाँच परिणाम तथा निष्कर्ष निम्नवत् है :–

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन समर्पित, अभिलेखीय साक्ष्य, उपस्थित साक्षियों के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण तथा सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में निम्नलिखि तथ्य परिलक्षित होते हैं :–

(i) जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–2580 दिनांक–19.12.2020 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग को आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में गठित आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोपों के संबंध में उदाहरण के साथ स्थिति स्पष्ट की गई है। जैसे– भूधारी आनन्द मोहन झा, पिता बाबूनंदन झा, साकिन खोपा से संबंधित L.A. No–58, खेसरा नं. 127 A, में अवस्थित मकान का मूल्यांकन प्रतिवेदन 10,77,187.00 अभियंता द्वारा दिया गया था। परन्तु भूधारी को आरोपित पदाधिकारी द्वारा 17,61,050.00 का भुगतान किया गया। संलेख में संलग्न मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाद में कनीय अभियंता द्वारा कटिंग कर 15,15,937.00 किया गया है। इस प्रकार 4,38,750.00 का अधिक भुगतान इस षडयंत्र से जुड़े सभी लोक सेवकों जिसमें आरोपित पदाधिकारी की भी भूमिका सम्मिलित है, की मिलीभगत से भूधारी को मुआवजा भुगतान किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इस प्रकार के कुल 31 लाभार्थियों के संबंध में अनियमितता पाया गया है।

(ii) जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–2580/गो०, दिनांक–19.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा सरकारी राशि की क्षति अपने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के उद्देश्य से किया गया है।

(iii) The National Highway Act 1956 की धारा 3D का अंश निम्नवत् हैः-

3D. Declaration of acquisition.(1) Where no objection under sub-section (1) of section 3C has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objection under sub-section(2) of that section, the competent authority shall, as soon as may be submit a report accordingly to the Central Government and on receipt of such report, the Central Government shall declare, by notification in the Official Gazette, that the land should be acquired for the purpose of purposes mentioned in sub-section (1) of section 3A.

(2) On the publication of the declaration under sub-section (1), the land shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

NH Act 1956 के अंतर्गत जमीन के अधीग्रहण के उपरांत इसी अधिनियम की धारा 3A के अंतर्गत अधिग्रहित जमीन के क्रम में गजट का प्रकाशन दिनांक–13.07.2005 को किया गया है। इस क्रम में जिन–जिन व्यक्तियों का जमीन अधिग्रहित किया गया था, उन्हें सक्षम प्राधिकार (भू–अर्जन पदाधिकारी) के समक्ष अपनी बातों को रखने हेतु कहा गया था। NH Act 1956 की धारा 3C के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को अपनी बात रखने के लिए 21 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान है एवं आपत्ति प्राप्ति के उपरांत NH Act 1956 की धारा 3D के अनुसार आपत्तियों का अनुज्ञात करने के उपरांत पुनः दिनांक 13.05.2006 को अंतिम अधिसूचना निर्गत किया गया है।

3D के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरांत किसी भी तरह की आपत्ति प्राप्त करने का प्रावधान उक्त अधिनियम में नहीं है। फिर भी इसके उपरांत आरोपित पदाधिकारी द्वारा गजट में उल्लिखित जमीन के स्वरूप में भूपतियों से आवेदन लेकर एवं उसका जांच करवाकर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। उदाहरण स्वरूप कनकपुर मौजा के खेसरा नं० 2524, रकवा 3 डिसमिल को नोटिस में भीठ बताते हुए 4912.00 भुगतान करना था। बाद में इसे आवासीय लायक बता कर 42319.00 भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि 3D के प्रकाशन के उपरांत इसे गैर कृषि माना गया। इसी खेसरा के L.A. No– 307, जो मीर हसनेन का है इसे भीत मानते हुए 4912.00 का भुगतान करना था, बाद में इसे आवासीय दिखा कर 42319.00 भुगतान किया गया।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जान बूझकर यह कार्य किया गया है जिससे भूपतियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सका। यह कृत अरोपित पदाधिकारी के भ्रष्ट मंशा को भली–भाँति स्थापित करता है साथ यह कृत नियम के विरूद्ध है।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है कि ".....In the present case, the situation is the same. No one has come forward to support the prosecution case nor have proved the report submitted by the vigilance as certain persons were required to come forward and prove the charges, who could be put to cross examination. "

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही आरोपित पदाधिकारी द्वारा NH Act 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर जाकर बिना किसी Authority के अपने निजी फायदे के लिए भूधारियों को लाभ पहुंचाने के दोषी पाये जाने के कारण संचालित की गयी है। उनके द्वारा की गयी अनियमिततायें से संबंधित कुल 31 साक्ष्य यथा एक ही स्थान पर

आवासीय, सिंचित एवं असिंचित भूमि के आधार पर मुआवजा का वितरण, 3D के प्रकाशन के उपरांत भूधारी से आवेदन लेकर भूमि का प्रकार को बदलना, पहले भूमि को भीठ मानना तथा बाद में इसको कृषि योग्य मानकर भुगतान करना इत्यादि अभिलेख में उपलब्ध है।

8. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद का लिखित अभिकथन अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के प्रावधानों के तहत **''श्री प्रसाद के पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती स्थायी रूप से करने''** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–11742 दिनांक 27.06.2025 द्वारा परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–1810 दिनांक 22.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–सह–पठित ज्ञापांक–9794 दिनांक 22.07.2019 की कंडिका–07 में यह प्रावधान है कि **''वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के मामलों में, जिनमें आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो, और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहत दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा''**।

10. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्याम किशोर प्रसाद, बि०प्र०से०, को०क्र0–142/2011, तत्कालीन तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी0) के संगत प्रावधानों के तहत **''श्री प्रसाद के पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती स्थायी रूप से करने''** का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजुला प्रसाद, अपर सचिव।

————————

सं0 08/आरोप–01–01/2022 सा०प्र०––14878

————————

11 अगस्त 2025

श्री विजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–938/2019, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा को विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 18.01.2022 को परिवादी, श्री शम्भु कुमार से 48,000/– (अड़तालीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7 अन्तर्गत निगरानी थाना कांड सं०–01/2022 दिनांक 17.01.2022 दर्ज होने की सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–203 दिनांक 24.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराते हुए विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। तदालोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2573 दिनांक 23.02.2022 द्वारा श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 19.01.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। उक्त थाना कांड में विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०–एस०पी० (नि०)–08/2022–113/जे० दिनांक 20.04.2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है तथा माननीय निगरानी न्यायालय, पटना में श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल है।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 5603 दिनांक 11.04.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–23228 दिनांक 23.12.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. सचिव–सह–जाँच आयुक्त, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4027 दिनांक 29.11.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच आयुक्त का विश्लेषण एवं जाँच परिणाम निम्नवत् है :–

(i) प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में प्रपत्र 'क' में आरोपित पदाधिकारी पर आरोप गठित किया गया है कि इनके द्वारा 3,00,000/– (तीन लाख) रूपये के बिल भुगतान के बदले में 48,000/–(अड़तालीस हजार) रूपये रिश्वत की मांग की गयी तथा विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के गठित धावा दल द्वारा श्री शम्भु कुमार से 48,000/– रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

(ii) कार्यवाही में प्रस्तुत गवाहों द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी है कि श्री कुमार के बैग से रू 48,000/– की बरामदगी की गयी है तथा उनके हाथ को धुलवाने पर दांये हाथ के पानी का रंग लाल हो गया, बैग का भी सैम्पल लिया गया जिसका भी रंग लाल हो गया।

(iii) स्वतंत्र गवाह द्वारा गवाही में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता के द्वारा दिया गया रिश्वत के रूप में जो राशि आरोपित पदाधिकारी को देना था उस रूपये पर केमिकल लगाया गया। राशि का Serial Number नोट किया गया। उसके बाद उस राशि को लिफाफा में बंद कर शिकायतकर्ता को दे दिया गया। शिकायतकर्ता के इशारा करने पर तलाशी के दौरान आरोपित पदाधिकारी के टेबुल पर रखे बैग से वही नोट बरामद किया गया जो पूर्व में केमिकल मिला कर दिया गया था और उसका Serial Number का मिलान करने पर सही पाया गया।

(iv) आरोपित पदाधिकारी के प्रतिपरीक्षण में श्री अमितेश राय, नि०व०लि० द्वारा कार्रवाई की तिथि 18.01.2022 को 11.05 बजे पूर्वाह्न बताने पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये Suggestion में कहा गया कि आरोपित कार्यपालक पदाधिकारी का ट्रैप दिनांक 18.01.2022 को 11.45 बजे पूर्वाह्न कार्यालय आने के बाद हुआ था, जबकि तलाशी–सह–जप्ती सूची के अनुसार कार्रवाई 11.05 बजे पूर्वाह्न होना इंगित करता है कि बिना प्री–ट्रैप की कार्रवाई हुए ही साजिश के तहत आरोपी कार्यपालक पदाधिकारी को ट्रैप करवाया गया।

आरोपित पदाधिकारी का Suggestion अमान्य है, क्योंकि Recovery memorandum तलाशी होने के उपरांत तैयार किया जाता है। इस कारण से तलाशी–सह–जप्ती सूची में अंकित समय तथा Recovery memorandum के समय में 40 मिनट का अंतर स्वाभाविक है।

(v) श्री कुमार द्वारा गिरफ्तारी मेमो एवं तलाशी–सह–जप्ती सूची का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उक्त सूची में बैग बरामदगी का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री कुमार का यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि विशेष निगरानी इकाई द्वारा समर्पित किये गये आरोप–पत्र के साथ संलग्न प्रदर्शों की विवरणी में कार्यालय बैग का उल्लेख है।

(vi) श्री कुमार द्वारा बचाव–बयान एवं बहस के दौरान बार–बार यह कहा गया है कि उनके द्वारा लंबित बिल को दिनांक 17.11.2022 को ही शेखपुरा कोषागार कार्यालय को अग्रसारित कर दिया गया था। इस संबंध में श्री चन्द्रभूषण, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा गवाही के दौरान स्पष्ट किया गया है कि– "अनुसंधान के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि यह बिल श्री कुमार के कारण रूका हुआ था और यह भी स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा यदि कमीशन की राशि रिश्वत के रूप में नहीं दी जाती तो अगला कोई एग्रीमेन्ट एवं बकाया भुगतान नहीं होता, इसलिए बिल के भुगतान के पश्चात् भी यह अपराधिकृत बनता है।"

(vii) श्री कुमार द्वारा विशेष निगरानी इकाई, पटना के क्रियाकलापों पर संदेह व्यक्त किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव बयान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इनके आरोपों की जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। यह एक प्रक्रियात्मक मुद्दा (Procedural Issue) है। अतः श्री कुमार द्वारा विशेष निगरानी इकाई, पटना के क्रियाकलापों पर उठाए गये प्रश्न के लिए यह उचित Forum नहीं है।

(viii) श्री कुमार द्वारा बरबीघा बोर्ड भंग होने के उपरांत भी तत्कालीन पूर्व मुख्य पार्षद श्री रोशन कुमार द्वारा पूर्ववत अपने शक्तियों का प्रयोग करने तथा उनके नेम प्लेट को श्री कुमार द्वारा हटा देने के कारण श्री रोशन कुमार द्वारा आरोपित पदाधिकारी को फंसाने की धमकी दिये जाने का उल्लेख बचाव बयान में किया गया है। परन्तु इससे संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ix) जहाँ तक प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का प्रश्न है तो गवाहों का बयान, उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार को 48,000/– रूपये मात्र लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के अन्तिम निष्कर्ष में आरोप प्रमाणित पाया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–19421 दिनांक 04.11.2024 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 26.12.2024) समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थित सभी गवाहों द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी है कि श्री कुमार के बैग से 48,000/–(अड़तालीस हजार रूपये) की बरामदगी की गयी है तथा उनके हाथ धुलवाने पर दायें हाथ का पानी का रंग लाल हो गया, बैग का सैम्पल भी लिया गया, जिसका भी रंग लाल हो गया। इसके अलावा विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री कुमार द्वारा अपने बचाव बयान में जिन–जिन बिन्दुओं को उठाया गया/Suggestion दिया गया उनका भी बिन्दुवार खंडन जांच प्रतिवेदन में किया गया।

(ii) श्री कुमार द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन पर समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में भी लगभग उन्हीं बिन्दुओं का उल्लेख किया गया, जिसका उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही

के दौरान जाँच आयुक्त के समक्ष समर्पित लिखित बचाव–बयान में किया गया, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी ने श्री विजय कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाया।

(iii) विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के गठित धावा दल द्वारा श्री कुमार को रू. 48,000/–(अड़तालीस हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने संबंधी आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया।

6. उपरोक्त के आलोक में श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–938/19, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति निलंबित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (xi) के तहत् (''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' एवं निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगी) का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

7. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–2230 दिनांक 06.02.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी, जिस पर आयोग के पत्रांक–5022 दिनांक 19.03.2025 द्वारा सहमति संसूचित की गयी।

8. श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.04.2025 को सम्पन्न बैठक में मद सं०–06 पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. तदुपरांत श्री विजय कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–938/2019, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बरबीघा, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (xi) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7903 दिनांक 05.05.2025 द्वारा निम्न शास्ति अधिरोपित किया गया :–

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

(ii) निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

श्री कुमार द्वारा उक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि :–

(i) इनकी नियुक्ति अपर सचिव के स्तर से की गयी है जबकि इनके विरुद्ध आरोप–पत्र का गठन एवं बर्खास्तगी आदेश अवर सचिव के स्तर से निर्गत किया गया है, जो अवैध है।

(ii) इनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 (1) का उल्लंघन, श्री शम्भु कुमार द्वारा दाखिल परिवाद पूरी तरह अवैध एवं असंवैधानिक होने और उसके आधार पर आरोप–पत्र का गठित किया जाना एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए अपने ऊपर लगाये आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद, तथ्यहीन, आधारहीन एवं मनगढंत आदि बताया है तथा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार करने एवं बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सेवा में लेने का अनुरोध किया गया है।

10. उल्लेखनीय है कि श्री विजय कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, जिनका नियुक्ति प्राधिकार माननीय मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री होते हैं। अनुशासनिक प्राधिकार अर्थात् माननीय मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री के अनुमोदनोपरांत ही इनके विरुद्ध आरोप–पत्र का गठन एवं बर्खास्तगी संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। इस प्रकार श्री विजय कुमार द्वारा कही गयी बात निराधार है।

श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी में मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो कि इनके द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में किया गया है, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर किये जाने के उपरांत ही संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध ''सेवा से बर्खास्तगी'' का दंड विनिश्चित किया गया है। उक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत ही श्री विजय कुमार को उक्त दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

11. तदुपरांत सम्यक विचारोपरांत श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–938/19, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) द्वारा दिनांक 19.06.2025 को समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7903 दिनांक 05.05.2025 द्वारा अधिरोपित दंड यथा :– ''(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी। (ii) निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा'' को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

12. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2025 को सम्पन्न बैठक में मद सं०–14 पर श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए ''सेवा से बर्खास्तगी''

संबंधी अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. अतएव उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विजय कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–938/19, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) द्वारा दिनांक 19.06.2025 को समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7903 दिनांक 05.05.2025 द्वारा अधिरोपित दंड यथाः–

"(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी। (ii) निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा" को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bihar.gov.in